आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–33 / 2023	
31.10.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री अनुप श्रीवास्तव, पो0–गम्हरिया, बोलायडीह, रोड नं0–09, जिला–सरायकेला–खरसावाँ आयोग कार्यालय में उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम अनुपस्थित। पिछले सुनवाई में आयोग ने जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम द्वारा आयोग को समर्पित जाँच प्रतिवेदन की एक प्रति जिला भ्रमण के दौरान पश्चिमी सिंहभूम में शिकायतकर्ता को हाथों–हाथ उपलब्ध कराई गई थी। आयोग ने शिकायतकर्ता को जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा रखे गये पक्ष के विरूद्ध अपना पक्ष रखने को कहा था। आज सुनवाई में उपस्थित शिकायतकर्ता का कहना है कि वे जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा रखे गये पक्ष से पूर्णतः सहमत हैं एवं उन्होंने इस आशय की लिखित जानकारी भी आयोग को समर्पित कर दी है। आयोग शिकायतकर्ता की सहमति से इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyauf\Vinod Sir\Commission order.docx112	